रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/94.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 16 अगस्त, 1994/25 श्रावण, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 28 जुलाई, 1994

संख्या पी0 सी0 एच0 एच0 ए0(5)-47/89-393.—क्योंकि ग्राम पंचायत बगडा थाच, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी ने अपने प्रस्ताव संख्या 12, दिनांक 18-5-1994 द्वारा यह पारित किया है कि श्री लक्ष्मण दास, पंच, वार्ड नं0 1—थाच, दिनांक 5-4-1993 से पंचायत की बैठकों में भाग नहीं ले रहे हैं, जबकि उन्हें लिखित व मौखिक रूप से पंचायत की बैठकों में भाग लेने हेतु निर्देश दिए गए थे ।

और क्योंकि नए अधिनियम, 1994 की धारा 146(1)(घ) के अधीन यदि कोई पदाधिकारी छः मास की अवधि में संचालित बैठकों के आधे से ज्यादा में युक्ति-युक्त हेतुक के, बिना अनुपस्थित रहता है ऐसे पदाधिकारी को किसी समय हटाया जा सकेगा जिसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि श्री लक्ष्मण दास, पंच को उनके पद से निष्कासित किया जाए जिसके लिए पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाए ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1)(व) के अधीन प्राप्त हैं जिसे पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए के प्रयोग में श्री लक्ष्मण दास, पंच, वार्ड नं0 1—थाच, ग्राम पंचायत बगड़ा-थाच, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी को नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें पंचायत की बैठकों में दिनांक 5-4-1993 से युक्ति युक्त हेतुक के बिना अनुपस्थित रहने के लिए पंच पद से हटाया जाए। उनका उत्तर 15 दिनों के भीतर-2 इस कार्यालय में उपायुक्त मण्डी के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते और उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाएगी।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त सचिव।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 10 अगस्त, 1994

संख्या : पी0 सी0 एन0-एम0एन0 डी0-ए0 (5) 90/94-767-772.—यतः श्री नागेन्द्र सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत गोपालपुर, विकास खण्ड गोपालपुर को इस कार्यालय के आदेश संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0 (ए) (5) 90-94-2543-2546, दिनांक 5-7-94 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अधीन निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसमें उक्त श्री नागेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत गोपालपुर को यह निर्देश दिया गया था कि वह 15 दिन के भीतर-भीतर कारण बताएं कि क्यों न उन पर लगाए गए दोषों के आधार पर उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) के अन्तर्गत निलम्बित किया जाए।

और यह कि उक्त श्री नागेन्द्र सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत गोपालपुर ने दिनांक 7-7-94 को कारण बताओ नोटिस प्राप्त कर लिया था जिसके प्रमाण में डाकघर से प्राप्त स्वीकृति रसीद (एक्नोलेजमैन्ट) इस कार्यालय में दिनांक 29-7-94 को प्राप्त हो गई है। परन्तु उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए दोषों से सम्बन्धित आज दिन तक उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझी, जिससे स्पष्ट है कि वह अपने उपर लगाए गये दोषों को स्वीकार करते हैं।

और यह कि ऐसे व्यक्ति का प्रधान जैसे महत्पूर्ण पद पर बने रहना जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता।

अत: मैं तरुण श्रीधर (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त मण्डी जिला मण्डी, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 4, वर्ष 1994) की धारा 145(2) में निहित हैं श्री नागेन्द्र सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत गोपालपुर, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को तत्काल प्रधान पद से जनहित में निलम्बित करता हूं, और उन्हें आदेश देता हूं कि यदि उनके पास पंचायत का कोई अभिलेख, धन या चल एवं अचल सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी गोपालपुर को सौंप दें।

तरुण श्रीधर,
उपायुक्त।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 3 अगस्त, 1994

संख्या 1838-41.—यह कि ग्राम पंचायत बनूरी, तहसील पालमपुर के निवासियों ने उप-मण्डल स्तरीय शिकायत निवारण दिवस दिनांक 5-2-94 को पालमपुर में समिति के समक्ष श्री प्यार चन्द प्रधान के विरुद्ध शिकायत-पत्र प्रस्तुत किया तथा निम्न आरोप लगाये:—

1. जनवरी, 1994 में प्रधान ने राशन कार्ड बनाते समय 10/- रुपये प्रति व्यक्ति के लिए परन्तु इस राशि की कोई रसीद उन्हें नहीं दी।

2. जनवरी, 1992 में प्रधान ने भिन्न-भिन्न निर्माण कार्यों पर धन व्यय किया परन्तु उसका हिसाब न बतला कर राशि का दुरुपयोग किया।

3. प्रधान ने अपनी वर्तमान कार्यकाल अवधि में नियमानुसार ग्राम सभा की कोई बैठक नहीं बुलाई।

2. यह कि उपरोक्त आरोपों की प्रारम्भिक जांच पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड पंचरूखी से करवाई गई तथा इसके साथ ही अभिलेख का विशेष अंकेक्षण भी करवाया गया। जांच रिपोर्ट व अंकेक्षण-पत्र में दर्शाई आपत्तियां अनुसार निम्न आरोपों की पुष्टि की गई;—

1. श्री प्यार चन्द प्रधान ने जनवरी, 1994 में राशन कार्ड बनाते समय 10/- रुपये प्रति व्यक्ति जिसमें 7/- रुपये गृहकर, 2/- रुपये अंशदान मदिमाणा मेला तथा एक रुपया कार्ड शुल्क का वसूल किया परन्तु मौका पर किसी भी व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर रसीद नहीं दी। गृहकर आरोप करने से पूर्व नियमानुसार पंचायत का प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया था। प्रधान ने 16-3-94 (जांच दिनांक) तक राशि जमा पंचायत नहीं की तथा साथ ही रोकड़ को पूर्ण नहीं किया। बाद में रोकड़ पूर्ण करवाते समय राशि का इन्द्राज दिनांक 15-2-94 को 4,900/- रुपये आय भाग में दर्ज करके दिनांक 20-3-94 को अपने ही नाम पर अग्रिम धन के रूप में बिना उद्देश्य ही प्राप्त कर ली दर्शाई। इस प्रकार इस राशि का लगातार दुरुपयोग किया जाता रहा। यह राशि 19-5-94 अंकेक्षण दिनांक तक जमा पंचायत नहीं करवाई थी।

2. वर्ष 1992-93 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त आबंटन की राशि निम्न कार्यों पर व्यय दर्शायी थी:—

कार्य का नाम	कुल व्यय	मूल्यांकन राशि	अनाधिकृत अथवा अधिक व्यय काबिले वसूली
1. निर्माण रास्ता कलेहड़	10,210.00	5,800.00	4,410-00
2. निर्माण पुली बनूरी	4,120.00	2,520.00	1,594-00
3. निर्माण रास्ता झलेहड़	4,328.00	1,328.00	3,000-00
			9,004-00

उपरोक्त कार्यों का तकनीकी अधिकारी द्वारा मूल्यांकन करवाने पर पाया गया कि प्रधान ने 9004/- रुपये का व्यय अधिक बुक करके राशि का छलहरण किया है। इस प्रकार इस आरोप की भी पुष्टि की गई है।

3. मास 10/93 में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पंचरुखी से 5.40 क्विंटल चावल तथा 5.40 क्विंटल गंदम जे0 आर0 वाई0 मद में (काम के बदले अनाज) प्रधान ने प्राप्त की है। अनाज प्राप्ति के आदेश-पत्र, उसका स्टाक इन्द्राज तथा वितरण सूची अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं की तथा मौका पर स्टाक में अनाज भी उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार प्रधान ने अनाज का हिसाब न बतलाकर छलहरण किया है।

4. निर्माण पुली वनूरी तथा पंचायत घर मैदान के दो मस्ट्रौल मास 4/91 से संदिग्ध रूप से तैयार किये तथा एक व्यक्ति की उपस्थिति दोनों मस्ट्रौलों में लगाकर अदायगी करके राशि का छलहरण किया है।

5. दिनांक 26-2-91 को जे0 आर0 वाई0 मद में 23400/- रुपये के स्लेट खरीदकर गरीब व्यक्तियों को बांटे गये थे जबकि नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अंकेक्षण पर स्लेटों की संख्या वितरण सूची तथा स्लेट प्राप्तकर्ता की रसीद भी उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस प्रकार व्यय अनियमित ढंग से दर्ज रोकड़ किया गया।

3. यह कि उपरोक्त कृत्यों से स्पष्ट होता है कि प्रधान ने पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए ऐसे आचरण वाले व्यक्ति का प्रधान पद पर बने रहना जनहित में उचित नहीं है।

4. अत: मैं, मनीषा श्रीधर, उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 145(2) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री प्यार चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत वनूरी, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा को हि0 प्र0 ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करती हूं कि क्यों न उन्हें प्रधान पद से उक्त कृत्यों के लिए जनहित में निलम्बित किया जाये। उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपना स्पष्टीकरण, इस नोटिस को जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर-भीतर प्रस्तुत करेंगे अन्यथा यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इसलिए आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाये।

मनीषा श्रीधर,
उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित व प्रकाशित।